न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/85

मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज विराजमान खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 जर्ये अध्यक्ष श्याम मनोहर पुत्र श्री हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।

––अपीलांट

बनाम

1. गणेशराम (मृतक) जर्ये कायम मुकामान
   1/1 श्रीमती शांति बाई (पत्नि)
   1/2 बालचन्द (पुत्र)
   1/3 बजरंग (पुत्र)
   1/4 मनोज (पुत्र)
   1/5 विजय (पुत्र)
   1/6 आकाश (पुत्र)
   1/7 हेमलता (पुत्री)
   1/8 पार्वती (पुत्री)
   निवासीगण बापू कोलोनी, कुंए पर गौशाला के पहले जुल्मी रोड, रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–
1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/8 की ओर से।

अपील संख्या : 2024/185

गणेशराम पुत्र जीवनराम जाति धाकड निवासी गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये मृतक कायम मुकाम –

1/1 श्रीमती शांति बाई (पत्नि)
1/2 बालचन्द (पुत्र)
1/3 बजरंग (पुत्र)
1/4 मनोज (पुत्र)
1/5 विजय (पुत्र)
1/6 आकाश (पुत्र)
1/7 हेमलता (पुत्री)
1/8 पार्वती (पुत्री)
निवासीगण गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।

——अपीलांटगण

बनाम

1. मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज विराजमान खैराबाद तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0 जरिये पुजारी अध्यक्ष– श्याम मनोहर पुत्र हीरालाल जी जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा।

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–
1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 25.03.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 130/2014 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलों में समान पक्षकार व समान विषय वस्तु होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बंधित होने से उक्त दोनों अपीलें इस एकल निर्णय से निर्णित

की जा रही है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपीलों की पत्रावलियों के साथ पृथक–पृथक संलग्न रहे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट (अपील संख्या 2024/85) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक वादपत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि वादी मुर्ती श्री गोपाल जी महाराज विराजमान खैराबाद में स्थित है उक्त मंदिर की सारी व्यवस्था करने के लिये एक कमेटी गठित कर रखी है जिसके अध्यक्ष श्याममनोहर है। वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 417 रकबा 0.60 है० है। जिसके पुराने खसरा नं. 225/323 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा ग्राम रॉसली तहसील रामगंजण्डी के माल में स्थित है। जिसके काश्त से होने वाली आय से मंदिर की सेवा पूजा साल सभाल व अन्य मंदिर की व्यवस्था चलती आ रही है। प्रतिवादी के खाते आराजी भी मंदिर की उक्त पास ही स्थित है वादी के खाते की आराजी के उत्तर में आराजी के दक्षिण में बापू कॉलोनी स्थित है जिसमें रिहायशी भूखण्डो का विक्रय किया जाता है। और घास में रिहायशी कॉलोनी होने से प्रतिवादी के मन में बदयांति आ गई है प्रतिवादी ने वादी मूर्ति गोपाल जी महाराज विराजमान खैराबाद के खाते की आराजी खसरा नं. 417 रकबा 0.60 है० जिसके पुराने खसरा 225/323 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा है उस पर 3 साल पहले वादी की व्यवस्था कमेटी के सदस्यों को आराजी पर आने जाने से व काश्त करने से मना कर दिया और लडाई झगडा किया तथा आराजी की मेड के पेड काट दिये एवं इस प्रकार प्रतिवादी ने उक्त मंदिर की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया इस पर वादी की व्यवस्था कमेटी ने प्रतिवादी से कहा कि तुमने यह क्या किया भगवान के खाते की भूमि को भी नहीं छोडा ऐसा क्या अनर्थ करते हो हमारी भूमि का कब्जा हमें संभला दो उसे हम काश्त करेंगे तो इतना कहते ही प्रतिवादी से झगडा करने पर आमादा हो गया एवं कहा कि तुम्हे करना है वो तुम कर लो मैं काश्त नहीं छोडूगा एवं तुम्हारी भूमि पर तुम्हे आने भी नही दूंगा। इसके पश्चात् वादी की व्यवस्था कमेटी ने जिला कलक्टर महोदय एवं उप जिला कलक्टर महोदय को प्रार्थना–पत्र दिया कि गणेशराम ने मंदिर की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है और पेड भी काट दिये है। इस पर पटवारी हल्का एवं कानूगो के नाम आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये परन्तु उन्होने भी आज दिन तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की इसलिये प्रतिवादी के होंसले बुलंद हो रहे है एवं प्रतिवादी ने वादी की भूमि के अलावा आराजी खसरा नं. 418 की रकबा 0.34 है० भूमि जो कैलाश बाई पत्नि केशुराम धाकड, कमलाबाई पत्नि जगदीशचंद धाकड की आराजी पर भी नाजायज कब्जा कर रखा है। इसके अलावा भी प्रतिवादी इतना चालक व अवसर वादी है कि इसके पुराने खाते के नक्शे लठ्ठे खसरा नं. 225/316 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा थे जिसके नक्शे लठ्ठे में खसरा नं. 416 किये गये है। जब कि नक्शे में खसरा नं. 225/315 है जिसके नये नक्शे लठ्ठे में खसरा नं. 416 किये

गये है इस प्रकार जिस जगह नक्शे लठ्ठे में पुराने खसरा नं. 225/315 थे जो प्रतिवादी के खाते के नही है प्रतिवादी के खाते के 225/316 है इस प्रकार 225/315 के 416 नये खसरा नं. उसी पुराने खसरा नं. 225/315 के स्थान पर कायम किये गये है फिर भी दादागिरी के बल पर प्रतिवादी वादी को उसके खाते की आराजी खसरा नं. 417 पर आने जाने के लिसे खसरा नं. 416 की मेड पर से निकलने नही देते है। जब कि वादी का अपनी आराजी पर जाने का पूर्ण अधिकार है इसलिये इस सम्बंध में प्रतिवादी के विरूद्ध अलग से दावा प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार प्रतिवादी ने मूर्ती श्री गोपाल जी महाराज विराजमान खैराबाद के खाते की भूमि खसरा नं. 417 रकबा 0.60 है० पर नाजायज कब्जा कर रखा है जिसमें ठाकुर जी महाराज की सेवा पूजा कराने व मंदिर की व्यवस्था कराने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड रहा है। क्यों कि वादी के खाते की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा नाजायज कब्जा करने से आराजी की आय बिलकुल बंद हो चूकी है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय में इस आशय की डिकी हासिल करे कि प्रतिवादी को वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 417 रकबा 0.60 है० से बेदखल करके वादी को कब्जा सम्मलाया जाकर एवं जितने समय में प्रतिवादी का कब्जा नाजायज कब्जा पाया जावे उतने साल का हर्जाना भी वादी को दिलवाया जायें। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खाते की आराजी पर नाजायज कब्जा करने पर वादी द्वारा 2–3 बार फरवरी 2013 में मार्च 2014 में मना करने पर भी प्रतिवादी द्वारा झगडा करने पर एवं जिला कलक्टर कोटा एवं उप जिला कलक्टर के आदेश न मानने पर उत्पन्न हुआ है। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम रॉसली तहसील रामगंजमण्डी में स्थित होने से वाद काबिल समाअत अदालत हाजा है। स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब भूमि धारक होने से फोरमल प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। अंत में वाद–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादी नं. 1 की डिकी सादिर फरमाई जावें। कि आराजी खसरा नं. 417 रकबा 0.60 है० वाके ग्राम रॉसली से प्रतिवादी नं. 1 को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा सम्मलाया जायें एवं प्रतिवादी के विरूद्ध विवादित आराजी पर दखल देने के बाद वादी के खाते की भूमि खसरा नं. 417 की भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें।

4. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी गणेशराम अपीलांट (अपील संख्या 2024/185) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2024 को वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों ही खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024 से व्यथित होकर दोनों अपीलों के अपीलांट ने न्यायालय हाजा में पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

6. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 2024/185 मियाद बाहर तथा अपील संख्या 2024/85 अंदर मियाद पेश की गई। अपील संख्या 2024/85 अंदर मियाद दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपील संख्या 2024/185 मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में अपील संख्या 2024/85 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/8 तथा अपील संख्या 2024/185 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपील संख्या 2024/85 एवं अपील संख्या 2024/185 में रेस्पो0 सं0 02 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व दोनों पत्रावलीयां वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

7. अपील संख्या 2024/185 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 26.03.2024 को पारित उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट्स को जब न्यायालय के सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांट् द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये दिनांक 31.07.2024 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 01.08.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अपीलांट अविलम्ब रूप से यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्णय दिनांक 26.03.2024 से नकल प्राप्ति दिनांक 01.08.2024 तक की अवधि कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं की है जो सदभाविक होने से क्षम्य योग्य है। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन फरमाये जाने की कृपा करें। अंत में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

8. अपील संख्या 2024/85 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज करके भयंकर त्रुटि की है। जबकि वादी का वाद स्वीकार किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का शीर्षक ही त्रुटिपूर्ण अंकित किया है जिसमें वादी पक्ष में जर्ये "पुजारी" अंकित कर दिया है। जबकि वाद मे शीर्षक मे "पुजारी" शब्द अंकित नही है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के शीर्षक ने केवल प्रतिवादी के रूप में गणेशराम का नाम व विवरण अंकित किया है। जबकि वाद पत्र में प्रतिवादी कम–2 के रूप मे दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा भी पक्षकार है। परन्तु निर्णय में प्रतिवादी कम–2 अंकित ही नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी अभिवचन के तनकी नम्बर–7 अनावश्यक रूप से कायम की है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर–2, 3 व 7 का निर्णय वादी/अपीलान्ट के विरूद्ध प्रदान करके त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी न०–2 व 3 का निर्णय करते समय अभिवचनो को ही अनदेखा कर दिया। क्योंकि वादी/अपी० का वाद प्रतिवादी कम–1 के विरूद्ध धारा 183 आर०टी०एक्ट के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर– 417 रकबा 0.60 है० वाके ग्राम रोसली से प्रतिवादी कम–1 को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा संभालने व विवादित आराजी पर दखल देने के बाद वादी के खाते की भूमि खसरा नम्बर– 417 पर किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नही करें। इस बाबत् पेश किया गया था तथा प्रतिवादी कम–1 ने जवाब दावा मे उक्त आराजी पर स्वंय का कब्जा होना अंकित किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर–2 का निर्णय करते समय यह गलत रूप से फाईडिंग दी है कि ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसमें यह प्रमाणित हो कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया गया है। इसी प्रकार तनकी न०–3 के निर्णय मे गलत रूप से यह फाईडिंग दी है कि वादी ने कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया जिसमें यह प्रमाणित हो सके कि वादी बाद बेदखली प्रतिवादी के विरूद्ध वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। जबकि इस तनकी के लिये ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता है कि वादी का कब्जा दिलाने के बाद वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। तनकी नम्बर 4, 5, 6 का निर्णय प्रतिवादी कम–1 के विरूद्ध किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करके त्रुटि की है। जबकि वादी का वाद स्वीकार किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को देवस्थान विभाग तथा उपपंजीयक रामगंजमण्डी जिला कोटा राज० मे मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज का पंजीयन करवाकर ट्रस्ट का गठन करने एवं तत्पश्चात न्यायमित्र की नियुक्ति देवस्थान विभाग के मार्फत वाद पत्र लेकर आने की फाईडिंग देकर तथा इसी फाईडिंग के आधार पर वादी/अपी० का वाद खारिज करके भयंकर त्रुटि की है। जिससे वादी मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज खातेदार के

हितो पर भारी कुठाराघात हुआ है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावश्यक रूप से ट्रस्ट का गठन करने व उपपंजीयक के यहां रजिस्ट्रेशन कराने आवश्यक मान कर त्रुटि की है। जबकि इस प्रकार की फाईडिंग दिया जाना कानूनन बिल्कुल गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर–4 के निर्णय में वादग्रस्त भूमि गणेशराम पुत्र जीवनराम के खाते दर्ज होना भी गलत अंकित किया है जबकि वादग्रस्त भूमि वादी के खाते में होने की फाईडिंग तनकी नम्बर–1 के निर्णय मे दे दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल निर्णय की प्रमाणित प्रति जारी की है। डिकी की प्रति जारी नहीं की है बल्कि जानकारी करने पर बताया कि डिकी बनाई नहीं गई। इसलिये डिकी की प्रमाणित प्रति पेश किया जाना संभव नहीं है यदि बाद में डिकी बनाई गई तो पत्रावली में आवेगी। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट की उक्त दोनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय (उपपंजीयक अधिकारी रामगंजमण्डी) का निर्णय/डिकी यदि बनाई जावे तो दिनांक– 26.03.2024 निरस्त फरमाया जावे तथा वादी/अपी० का वाद रेस्पो० के विरूद्ध वाद मे अंकित अनुसार स्वीकार फरमाया जाकर डिकी किया जावे।

9. अपील संख्या 2024/185 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज करने में भारी त्रुटि की है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4,5, व 6 अपीलांट के विरूद्ध तय करने में भारी गलती की है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नजर अन्दाज कर अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज करने में भारी त्रुटि की है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी वाके ग्राम रोसली तहसील रामगंजमण्डी में ख0नं0 416 की रकबा 0.71, 421 की 0.49 है0, 422 की रकबा 0.29 है0,423 की रकबा 0.08 है0, 424 की 1.71 है0, 425 की 0.42 है०, 482 की 0.01 है०, 483 की 3.44 है० कुल किता 8 की कुल रकबा 7.15 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज होकर निर्बाध रूप से कृषि कार्य करता चला आ रहा है। रेस्पो० अपीलांट की भूमि पर मूर्ति मंदिर श्री गोपाल महाराज की कृषि भूमि की आढ में जबरन कब्जा करना चाहता है। इस कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि रेस्पो० उक्त मूर्ति मंदिर श्री गोपाल का पुजारी/अध्यक्ष नहीं है। रेस्पो० श्याम मनोहर व अन्य व्यक्ति अपीलांट के कब्जे एवं खाते की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते थे। अपीलांट द्वारा रेस्यो० के विरूद्ध धारा 188 आरटी एक्ट का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी कोटा में प्रस्तुत किया था जिसमे मिसल नम्बर 92/2013 उनवान गणेशराम बनाम

श्याम मनोहर था। उक्त वाद को दिनांक 24.11.2015 को स्वीकार कर आदेश पारित किया गया था कि प्रतिपक्षीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही एजेन्टो से करावे। डिकी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल निर्णय की प्रमाणित प्रति जारी की है डिकी नहीं बनायी है इसलिये उक्त अपील के साथ निर्णय की दूसरी प्रति प्रस्तुत की जा रही है जो वैधानिक रूप से आपरेटिव पार्ट डिकी की परिभाषा में आता है। दिनांक 26.03.2024 को पारित उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट्स को जब न्यायालय के सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांट् द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये दिनांक 31.07.2024 को आवेदन किया जिस पर दिनांक 01.08.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अपीलांट अविलम्ब रूप से यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्णय दिनांक 26.03.2024 से नकल प्राप्ति दिनांक 01.08.2024 तक की अवधि कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। दोनों पत्रावलीयों का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट (2024/185) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस का मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत वाद में वादी मुर्ति मंदिर द्वारा जरिये पुजारी प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा प्रश्नगत वाद में वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खैराबाद की खसरा नंबर 417 रकबा 0.60 हे0 भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी सं0 01 गणेशराम के विरूद्ध बेदखल किये जाने का

अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी गणेशराम की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी गणेशराम द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है। साथ ही प्रतिवादी गणेशराम का यह कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादी गणेशराम के पूर्वजों के खाते एवं कब्जे काश्त में थी लेकिन सहवन से वादग्रस्त आराजी वादी के खाते दर्ज हो गयी। प्रतिवादी गणेशराम द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2067–70 के अनुसार प्रश्नगत खसरा सं0 417 की भूमि रिज्युम माफी मन्दिर श्री गोपाल जी महाराज विराजमान खैराबाद की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। चुंकि प्रश्नगत भूमि मंदिर माफी की भूमि है। अतः प्रंश्नगत वाद में तहसीलदार रामगंजमण्डी आावश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा तहसीलदार रामगंजमण्डी को पक्षकार कायम किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक में तहसीलदार लाडपुरा का नाम प्रतिवादी सं0 02 के स्थान पर अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में प्रतिवादी सं0 02 तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वास्ते जवाब सरकार नियत नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद में तहसीलदार रामगंजमण्डी से वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार रामगंजमण्डी से कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब प्राप्त नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0 02 तहसीलदार रामगंजमण्डी के बिना जवाब एवं बिना सुनवाई के ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26.03.2024 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हमारे मत में चुंकि प्रश्नगत प्रकरण मंदिर माफी की भूमि के संबंध में हक अधिकारों को लेकर है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी से जवाब लिये जाने के उपरांत समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें (अपील संख्या 2024/85 एवं अपील संख्या 2024/185) आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के प्रकरण संख्या 130/2014 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024 निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार रामगंजमण्डी को जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करे। तथा साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना में नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 22.04.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा